




भारत सरकार

भारत

का

विधि

आयोग



अनिवासी भारतीयों के लिए कुटुम्ब विधि विधानों की आवश्यकता

रिपोर्ट सं. 219

मार्च, 2009



भारत का विधि आयोग
(रिपोर्ट सं. 219)

अनिवासी भारतीयों के लिए कुटुम्ब विधि विधानों की आवश्यकता

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा
केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
को 30 मार्च, 2009 को अग्रेषित ।

18वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या ए.45012/1/2006-प्रशा. III (एल ए) तारीख 16 अक्टूबर, 2006 द्वारा 1 सितम्बर, 2006 से तीन वर्ष के लिए किया गया ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और सात अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति डा. एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा

डा. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लै

प्रोफेसर (श्रीमती) लक्ष्मी जामभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. (श्रीमती) श्यामला पप्पू

विधि आयोग आई. एल. आई. बिल्डिंग, द्वितीय तल, भगवानदास रोड,
नई दिल्ली-110001 में स्थित है।

विधि आयोग के कर्मचारिवृंद

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
सुश्री पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
डा. आर. एस. श्रीनेट	:	अधीक्षक (विधि)

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ <http://www.lawcommissionofindia.nic.in>

पर इन्टरनेट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्न के सिवाय) इस शर्त के अधीन किसी प्ररूप या माध्यम में निःशुल्क पुनरुत्पादित किया जा सकता है बशर्ते कि यह ठीक-ठीक पुनरुत्पादित किया गया है और भ्रामक संदर्भ में प्रयोग नहीं किया गया है । सामग्री की अभिस्वीकृति भारत सरकार कापीराइट और विनिर्दिष्ट दस्तावेज के शीर्षक के रूप में की जाए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित कोई पूछताछ सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग, द्वितीय तल, आई. एल. आई. भवन, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001, भारत को डाक द्वारा या ई-मेल : Ici-dla@nic.in द्वारा संबोधित किया जाए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का
उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

आई.एल.आई. भवन
(द्वितीय तल)
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष- 91-11-22384475
फैक्स - 91-11-23383564

अर्ध. शा.सं. 6(3)/154/2007-एल सी(एल एस) 30 मार्च, 2009

प्रिय डा. भारद्वाज जी,

विषय:- अनिवासी भारतीयों के लिए कुटुम्ब विधि विधानों की आवश्यकता ।

मैं उपरोक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 219वीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूँ ।

कई वर्षों से प्रत्येक क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और इसी प्रकार समस्याएं भी बढ़ी हैं । भगोड़े अनिवासी भारतीय पति के कारण विपदाग्रस्त परित्यक्त दुल्हन, भारत में व्यग्रता से पति-पत्नी की खोज कर रहे प्रतिवर्तित अनिवासी एशियाई माता-पिता जिन्होंने विदेशी न्यायालय आदेश के अतिक्रमण में विदेशी अधिकारिता से अपने बच्चों को पृथक् कर दिया है, बच्चों का सहयोग और अनुरक्षण चाहने वाले निराश माता-पिता, भारत में विदेश विवाह-विच्छेद डिक्री का प्रवर्तन चाहने वाले अनिवासी पति-पत्नी, भारत में संपत्ति के अंतरण और विदेशी तटों के अपने देश-प्रत्यावर्तन, भारत में बालक दत्तक लेने के लिए भारतीय विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे निराश उत्सुक और उत्साही विदेशी दत्तकग्राही माता-पिता, अनन्यतः भारतीय विधान के अधीन विवाह और विवाह-विच्छेद के लिए रूढ़िगत परम्पराओं को समझने

निवास: सं. 1, जनपथ, नई दिल्ली-110001. टेली. 91-11-23019465,
23793488, 23792745. ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in.

का प्रयास कर रहे विदेशी उच्चायोगों के किंकर्तव्यविमूढ़ पदधारी, विदेशी भूमि पर विधि अपराधियों को पकड़ने में भारतीय विधि की जटिलताओं को समझने का प्रयास कर रहे विदेशी पुलिस पदधारी, सीमा पार प्रवजन से प्रत्येक दिन उभरने वाली समस्याओं के ये कुछ दृष्टांत हैं। इस प्रकार, समस्याएं असंख्य हैं, लेकिन समाधान बहुत थोड़े या अस्तित्वहीन हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से अध्ययन के लिए इस विषय पर विचार किया। आयोग ने विभिन्न मुद्दों पर विचार किया और उसकी यह राय है कि समुचित विधि बनाकर निम्नलिखित उपचार से अनिवासी भारतीयों की समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा :

क. विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाया जाए ;

ख. विवाह के असुधार्य भंग के आधार पर विवाह का विघटन हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में शामिल किया जाए ;

ग. जहां पति-पत्नी में से एक अनिवासी भारतीय है, वहां पति-पत्नी का भरण-पोषण और निर्वाह-भत्ता, बालक अभिरक्षा और बालक सहायता और वैवाहिक संपत्ति के सुलह के लिए भी उपबंध करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में समानान्तर परिवर्धन किया जाए ;

घ. उत्तराधिकार, संपत्ति के अंतरण, अनिवासी भारतीय निधियों के प्रत्यावर्तन, आदि के मामले में संबद्ध राज्य सरकारें प्रक्रियाओं को आसान और कारगर बनाएं ;

ड. अन्तरराष्ट्रीय बालक अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन को स्वीकार करने की आवश्यकता पर आयोग ने अपनी 218वीं रिपोर्ट में पहले ही सिफारिश की है ;

च. अन्तर-देशीय बाल दत्तक-ग्रहण प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए और अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के विषय पर एकल समान विधान का उपबंध किया जाए । भारत ने अन्तर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर 29 मई, 1993 के कन्वेंशन की भी पुष्टि की है । इस प्रकार, इस कन्वेंशन के आलोक में विषय पर सरलीकृत विधि का अधिनियमन किया जाए ।

सादर,

भवदीय, ह/-
(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

डा. एच. आर. भारद्वाज,
केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

भारत का विधि आयोग

अनिवासी भारतीयों के लिए कुटुम्ब विधि विधानों की आवश्यकता

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
I. संक्षेप में समस्याएं	10
II. विधि में समाधान की तलाश	11
III. भारतीय विधि के समक्ष कठिनाईयां	12
IV. अन्तर-मातृ-पितृ बाल पृथक्करण —	
एक विशिष्ट समस्या	25
V. सुझाए गए समाधान और उपचार	25

I. संक्षेप में समस्याएं

1.1 विभिन्न स्वीय विधियों वाले इस पृथ्वी के अनेक पुरुष और महिलाओं ने प्रजनन किया है और वहां अपना स्थायी निवास या अस्थायी निवास बनाने के लिए भिन्न-भिन्न देशों में प्रजनन कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य देशों के राष्ट्रियों का भी आप्रवासन हो रहा है। व्यक्तियों के लिए संसूचना और परिवहन के विकास से भी एक देश से दूसरे देश को जाने में आसानी हुई है। ऐसे मामले प्रायः सामने आते हैं जहां इस देश के नागरिकों ने अन्य देशों के राष्ट्रियों से इस देश में या विदेश में या आपस में विवाह कर रहे हैं या यहां विवाह करके दोनों या दोनों में से एक दूसरे देश को चले जाते हैं। यहां ऐसे भी मामले हैं जहां विवाह करके पक्षकार भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग या तो बस गए हैं या रह रहे हैं। ये अस्थायी या स्थायी प्रजनन कुटुम्ब और इसकी शान्ति को नष्ट करके विभिन्न प्रकार के वैवाहिक विवादों को भी जन्म देते हैं।¹

1.2 कई वर्षों से प्रत्येक क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और इसी प्रकार समस्याएं भी बढ़ी हैं। भगोड़े अनिवासी भारतीय पति के कारण विपदाग्रस्त परित्यक्त दुल्हन, भारत में व्यग्रता से पति-पत्नी की खोज कर रहे प्रतिवर्तित अनिवासी एशियाई माता-पिता जिन्होंने विदेशी न्यायालय आदेश के अतिक्रमण में विदेशी अधिकारिता से अपने बच्चों को पृथक् कर दिया है, बच्चों का सहयोग और अनुक्षण चाहने वाले निराश माता-पिता, भारत में विदेशी विवाह-विच्छेद डिक्री का प्रवर्तन चाहने वाले अनिवासी पति-पत्नी, भारत में संपत्ति के अंतरण और विदेशी तटों के अपने देश-प्रत्यावर्तन, भारत में बाल दत्तक लेने के लिए भारतीय विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे निराश उत्सुक और उत्साही विदेशी दत्तकग्राही माता-पिता, अनन्यतः भारतीय विधान के

¹ वाई. नरसिम्हाराव बनाम वाई. वेंकटालक्ष्मी, जे. टी. 1991 (3) एस. सी. 33.

अधीन विवाह और विवाह-विच्छेद के लिए रूढ़िगत परम्पराओं को समझने का प्रयास कर रहे विदेशी उच्चायोगों के किंकर्तव्यविमूढ़ पदधारी, विदेशी भूमि पर विधि अपराधियों को पकड़ने में भारतीय विधि की जटिलताओं को समझने का प्रयास कर रहे विदेशी पुलिस पदधारी, सीमा पार प्रवजन से प्रत्येक दिन उभरने वाली समस्याओं के ये कुछ दृष्टांत हैं। इस प्रकार, समस्याएं असंख्य हैं, लेकिन समाधान बहुत थोड़े या अस्तित्वहीन हैं।

1.3 भारी संख्या में ऐसे विधिक मुद्दे हैं जो विदेश में रह रहे वैश्विक भारतीय समुदाय के अधिकांश वर्ग को परेशान करते हैं। यद्यपि विदेशी भारतीयों की विदेशी अधिकारिताओं में कई गुना वृद्धि हुई है फिर भी भारतीय विधियों की उचित वृत्तिक सूचना और सलाह की कमी के कारण कुटुम्ब विधि विवाद और स्थितियां प्रतिबंधित हैं। विदेशी अधिकारिताओं को सुलझाने का प्रलोभन काफी भारतीय जनसंख्या को प्रभावित करता है लेकिन ऐसे प्रवजन से हुई समस्याएं अधिकांशतः असुलझी बनी हुई हैं।

II. विधि के समाधान की तलाश

2.1 समुद्रपार संपूर्ण विश्व के सालिसिटर और वादकारी उत्सुकता से वृत्तिक राय और सलाह की अपेक्षा करते हैं जब भारतीय विदेशी निवासियों के समक्ष समस्याएं पैदा होती हैं। भारत में अनुष्ठापित विवाहों की विधिमान्यता की स्थिति, भारतीय विधि के अधीन विवाह-विच्छेद का ढंग और साधन, भारत से बच्चों का दत्तक-ग्रहण करने के लिए पूरी की जाने वाली विधिक औपचारिकताएं, बाल अपहरण की दशा में मातृ-पितृ अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारतीय विधि में उपलब्ध उपचार और अनिवासी भारतीयों से संबंधित अन्य कुटुम्ब विधि मुद्दों के दृष्टांत उजागर हैं। इसी प्रकार, संपत्ति का उत्तराधिकार और अंतरण, बैंककारी कारबार, कराधान मुद्दा, अनिवासी भारतीयों के लिए विल और अन्य वाणिज्यिक दस्तावेजों के निष्पादन और क्रियान्वयन से संबंधित मामलों की अनेक समस्याएं हैं। तथापि, बहु-विधियों का उपयोजन उनका न्यायिक निर्वचन और अन्य

वैधताएं प्रायः समस्याओं को सुलझाने में नाकाफी रहती हैं यद्यपि भारतीय विधि में भागतः उपचार विद्यमान है और भागतः नए विधान की अत्यंत आवश्यकता है ।

2.2 अनिवासी भारतीयों की संख्या में प्रत्येक विदेशी अधिकारिता में कई गुना वृद्धि हुई है । तथापि, कुटुम्ब संपत्ति, रिश्तेदारी या मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण अनिवासी भारतीय शरीर या आत्मा से भारतीय भूमि पर वापस आते रहते हैं । इस वापसी से अनिवासी भारतीय भारत में अपने अस्थायी या स्थायी वापसी से जुड़े अपने विधिक समस्या के लिए उपचार चाहते हैं । लगातार अनिवासी भारतीय उस सीमा पार अधिकारिता की विदेशी विधि को आयात करते हैं जहां से उनका प्रव्रजन होता है । ऐसी स्थिति पैदा होती है क्योंकि या तो भारतीय विधि में कोई उपचार नहीं है या क्योंकि वह ऐसी विदेशी विधि के आधार पर भारत में विदेशी न्यायालय निर्णय को आयात करना आसान और द्रुतकर पाता है जिसका भारतीय अधिकारिता में कोई समानान्तर निर्णय नहीं है । अधिकारितागत विधि के इस टक्कर को सामान्यतः प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में विधियों का विरोध कहा जाता है जिसका विकास अभी भारतीय भू-क्षेत्र के विधि न्यायशास्त्र में नहीं हुआ है ।

III. भारतीय विधि के समक्ष कठिनाईयां

3.1 कुटुम्ब विधि के ऐसे क्षेत्र, जिसमें अधिकारिता की समस्याएं प्रायः पैदा होती हैं, विवाह के विघटन, अन्तर-मातृ-पितृ बाल अपहरण, अन्तरदेशीय बाल दत्तक ग्रहण और अनिवासी भारतीय की संपत्ति का उत्तराधिकार के संबंध में है । विवाह-विच्छेद के मामलों में चूंकि विवाह का असुधार्य भंग भारतीय विधि के अधीन विवाह के विघटन का आधार नहीं है इसलिए, सिद्धांततः, भारतीय न्यायालय ऐसे भंग द्वारा विवाह के विघटन के विदेशी वैवाहिक निर्णयों को मान्यता प्रदान नहीं करते । आश्चर्य है कि वैवाहिक अपराध और बाल अपहरण से उद्भूत समस्याओं के क्षेत्रों में भी बहुत थोड़ी सहायता उपलब्ध है ।

विदेशी न्यायालय के वैवाहिक मुकदेबाजी से जूझ रहे निस्सहाय त्यक्त भारतीय पति-पत्नी को भारतीय किनारों पर छोड़ देने से लोगों में प्रायः निराशा, कुंठा और घृणा पैदा होती है जिसका अवलंब होने की न तो उनके पास साधन हैं और न ही योग्यता । इसी प्रकार, विदेशी न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन जिसके अतिक्रमण से कुटुम्ब के एक शिशु को दूर कर दिया गया है और भारतीय भूमि पर लाया गया है, की नैराश्यता से माता-पिता को विधिक उपचार के लिए भारत आना पड़ता है । समस्याओं की सूची असंख्य है लेकिन समाधान नगण्य या शून्य हैं ।

3.2 दुर्भाग्यवश, ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए कोई विशेष भारतीय विधान नहीं है । विदेशी किनारों पर भारतीयों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है लेकिन अनेक समस्याएं, जो उन्हें भारत वापस लाती हैं, को पारंपरिक भारतीय विधानों द्वारा अब भी सुलझाया नहीं जा सकता है । समय परिवर्तित हुआ है लेकिन विधियां नहीं । तथापि, भारतीय विधिशास्त्र की सक्रिय, प्रगतिशील और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली अनिवासी भारतीयों की नवयुगीन समस्याओं के लिए व्यावहारिक रूप से विद्यमान विधियों का निर्वचन प्रायः ऐसी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है । सौभाग्यवश, न्यायिक विधान ही उपलब्ध सहारा है ।

3.3 वाई. नरसिम्हाराव बनाम वाई. वेंकटा लक्ष्मी² वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि कोई भी देश नियमों की एकरूपता और राष्ट्रों की घनिष्टता की खातिर अपनी आंतरिक एकता, स्थिरता और शांति का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ये विचारणायें अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, संचार, परिवहन, सेवा प्रौद्योगिकी, मानव शक्ति, के विनिमय को सुकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण और समुचित है, राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य को विवाह-विच्छेद तथा विधिक पृथक्करण की मान्यता विषयक 1968 की हेग कन्वेंशन द्वारा एवं उसी वर्ष

² वही

की यूरोपीय समुदाय की निर्णय कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 में यह अभिव्यक्त रूप से उपबंध किया गया है कि संविदाकारी राज्य विवाह-विच्छेद या विधिक पृथक्करण को मानने से इनकार कर सकेंगे यदि ऐसी मान्यता प्रकटतः उनकी लोक नीति के मेल से नहीं है। यूरोपीय समुदाय का कन्वेंशन निर्णय अभिव्यक्त रूप से निम्नलिखित को अपनी परिधि से अपवर्जित करती है : (क) नैसर्गिक व्यक्तियों की प्रास्थिति या विधिक सामर्थ्य, (ख) विवाह संबंधों से उत्पन्न संपत्तिगत अधिकार (ग) विल और उत्तराधिकार (घ) सामाजिक सुरक्षा और (ङ.) दिवालियापन। अंतिम विषय के लिए एक पृथक् कन्वेंशन पर विचार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने “विदेशी विवाह-विच्छेदों की मान्यता” विषय पर विधि आयोग की 65वीं रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया और देश में विदेशी वैवाहिक निर्णयों को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के आशय पर विस्तार से चर्चा की और आगे यह मत व्यक्त किया :-

“11. इस देश में प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम संहिताबद्ध नहीं है और अधिनियमितियों में बिखरे पड़े हैं जैसे, सिविल प्रक्रिया संहिता, संविदा अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, आदि। इसके अतिरिक्त, न्यायिक विनिश्चयों द्वारा भी कुछ नियमों को विकसित किया गया है। नैसर्गिक व्यक्तियों की प्रास्थिति या विधिक सामर्थ्य, विवाह संबंधी विवादों, बालकों की अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण, वसीयती और निर्वसीयती उत्तराधिकार आदि मामलों में इस देश की समस्या इस तथ्य से उलझी हुई है कि यहां भिन्न-भिन्न स्वीय विधियां हैं और सभी नागरिकों के लिए कोई एकरूप सिद्धांत अधिकथित नहीं किया जा सकता। उन विषयों में सुभिन्नता जो वैयक्तिक और पारिवारिक मामलों से संबंधित होते हैं और उनमें जो वाणिज्यिक संबंध, सिविल दोष, आदि से संबंधित हैं के बीच

अंतर दूसरे देशों में और विधिक व्यवस्थाओं में सुमान्य है । पूर्वकथित क्षेत्र में विधि प्रधानतः सामाजिक, नैतिक और धार्मिक बातों से निर्धारित और प्रभावित होने की प्रवृत्ति रखती है तथा लोक नीति उसे आकार देने में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इसी प्रकार प्रायः सभी देशों में अधिकारिता संबंधी प्रक्रियात्मक और मूलभूत नियम जो इस क्षेत्र में उत्पन्न विवादों को लागू होते हैं उनमें काफी भिन्न होते हैं जो अन्य क्षेत्रों के दावों के संबंध में लागू होते हैं । जो भी हो,.....

12. वर्तमान मामले में हमारा संबंध केवल विवाह संबंधी विधि से है और हम यहां जो कुछ कहेंगे वह पूरी तरह उन मामलों को लागू होगा जो विवाह संबंधी विवादों से उत्पन्न होंगे और उसके आनुषंगिक होंगे । इस देश के न्यायालयों ने अभी तक इन मामलों में प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के आंग्ल नियमों का, चाहे वे कामन लॉ के नियम हों या कानूनी नियम, अनुसरण करने का प्रयास किया है । उन मामलों में भी जो विशुद्ध रूप से स्वीय हैं, आंग्ल विधि पर गंभीरता से बार-बार खेद प्रकट किया गया है किंतु इस स्थिति का निराकरण करने के लिए बहुत अधिक नहीं किया गया है । इस विषय पर अपनी 65वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने जो श्रम किया था वह अप्रैल, 1976 से फलीभूत नहीं हुआ जिस समय यह रिपोर्ट दी गई थी । यहां तक कि ब्रिटिश शासक भी इस देश पर शासन के दौरान ऐसे मामलों में अपनी विधि के नियमों को लागू करने में सीमित और संकोची रहते थे और उन्होंने कौटुम्बिक विधि को विभिन्न समुदायों के रूढ़िक नियमों से शासित होने के लिए छोड़ दिया था । उन्होंने वहीं अधिनियम बनाया जहां उन्हें शून्य दिखायी दिया, जैसे विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, आदि । किंतु 43 वर्ष से भी अधिक समय से स्वतंत्र होने के बावजूद हम यह

देखते हैं कि विधान मंडल ने इस क्षेत्र में प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम बनाना ठीक नहीं समझा है और विधानमंडल से ऐसी पहल के बिना इस देश के न्यायालय उन पूर्वोदाहरणों पर निर्भर करने के लिए बाध्य हैं जिन्होंने जैसाकि पहले कहा जा चुका है, आंग्ल नियमों से प्रेरणा ली है। ऐसा करते समय भी वे व्यवहार में एकरूप नहीं रहे हैं जिनका परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में हमारे यहां कुछ परस्पर विरोधी विनिश्चय हैं।

13. हम इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अतीत की अपेक्षा कहीं अधिक आज स्वीय और कौटुम्बिक मामलों में विदेशी निर्णयों की मान्यता के लिए निश्चिततात्मक नियम जरूरी है और विशेष रूप से विवाह संबंधी विवादों में इस की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है। विवाह संबंधी मामलों में बहुत सारी विदेशी डिग्रियां पारित हो रही हैं। अतः इन मामलों में विदेशी निर्णयों की मान्यता की सुनिश्चितता पक्की करने का समय आ गया है। सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के न्यूनतम नियमों को बनाने के लिए विधायी पहल की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। यह न्यायालय वर्तमान कानूनी उपबंधों के ढांचे के अंतर्गत इस छोटे से काम को पूरा कर सकता है यदि उनका निर्वचन और विस्तार प्रयोजन प्राप्ति के लिए तार्किक ढंग से किया जाए। इसी आशय से हम यहां प्रयास कर रहे हैं। हमें यह ज्ञात है कि बिना मदद के और एकमात्र अपने साधनों पर आश्रित, मार्गदर्शन के सिद्धांत जिन्हें हम इस क्षेत्र में अधिकथित करना चाहते हैं, हो सकता है, अपर्याप्त सिद्ध हो या कुछ पहलुओं पर पूरे नहीं, जो हो सकता है, इस समय हमारे पास विद्यमान न हों। लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयास से इस दिशा में प्रारंभ करना होगा और इसकी कमियां और त्रुटियां भावी निर्णयों द्वारा पूरी की जाने के लिए और ठीक की जाने के लिए छोड़ दी जाएं।

14. हमें विश्वास है कि संहिता की धारा 13 के सुसंगत उपबंधों को लोक नीति, न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण के अनुरूप विधि की इस शाखा के क्षेत्र में अपेक्षित सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए निर्वचन किया जा सकता है और इस प्रकार बनाए गए नियम विवाह संस्था की पवित्रता और कुटुम्ब की एकता की संरक्षा करेंगे जो हमारे सामाजिक जीवन की आधारशिला हैं ।

15. धारा 13 के खंड (क) में लिखा है कि यदि विदेशी निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है तो उसे माना नहीं जाएगा । हमारा मत है कि इस खंड का निर्वचन इस अर्थ में किया जाना चाहिए कि केवल वही न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय होगा जिसे अधिनियम या वह विधि जिसके अधीन पक्षकारों ने विवाह किया है, उसे विवाह संबंधी विवाद ग्रहण करने के लिए सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के रूप में मान्यता देती है । किसी भी अन्य न्यायालय को अधिकारितारहित न्यायालय माना जाना चाहिए जब तक कि दोनों पक्षकार स्वेच्छया और निःशर्त अपने आपको उस न्यायालय की अधिकारिता के अधीन न करें । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में “ सक्षम न्यायालय” पद का अर्थान्वयन भी इसी प्रकार करना होगा ।

16. धारा 13 के खंड (ख) में लिखा है कि यदि कोई विदेशी निर्णय मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है तो इस देश के न्यायालय ऐसे निर्णय को मान्यता नहीं देंगे । इस खंड का निर्वचन इस अर्थ में किया जाना चाहिए कि (क) विदेशी न्यायालय का विनिश्चय विधि के अधीन उपलब्ध आधार पर होना चाहिए जिसके अधीन पक्षकार विवाहित है, और (ख) वह विनिश्चय पक्षकारों में प्रतिरोध के फलस्वरूप होना चाहिए । पश्चात्कथित अपेक्षा तभी पूरी होती है जब प्रत्यर्थी पर सम्यक् रूप से तामील की जाए और वह स्वेच्छया एवं निःशर्त अपने आपको न्यायालय की

अधिकारिता के लिए समर्पित करे और दावे का प्रतिरोध करे, या हाजिर होकर या हाजिर हुए बिना डिक्री पारित करने के लिए सहमत हो । सविरोध और न्यायालय की अधिकारिता के प्रति समर्पण के बिना दावे का उत्तर फाइल करना मात्र अथवा न्यायालय की अधिकारिता पर आपत्ति करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में हाजिर होना मामले के गुणागुण पर विनिश्चय नहीं माना जाना चाहिए । इस बाबत न्यायालय की अधिकारिता के प्रति मौनानुकूलता के साधारण नियमों की जो दूसरे मामलों और क्षेत्र में विधिमान्य हो सकते हैं, उपेक्षा की जानी चाहिए और वे अनुपयुक्त समझे जाने चाहिए ।

17. धारा 13 के खंड (ग) के दूसरे भाग में लिखा है कि जहां निर्णय ऐसे मामलों में जिनमें ऐसी विधि लागू होती है इस देश की विधि को मान्यता न देने पर आधारित है वहां निर्णय इस देश के न्यायालयों द्वारा मान्य नहीं होगा । जो विवाह इस देश में होते हैं वे या तो इस देश में प्रवृत्त कानूनी विधि के अधीन या रूढ़िक विधि के अधीन हो सकते हैं । इस प्रकार विवाह संबंधी विवादों के बारे में जो विधि लागू हो सकती है वह यह विधि है जिसके अधीन पक्षकारों ने विवाह किया है, अन्य कोई नहीं । अतः जब कोई विदेशी निर्णय अधिकारिता पर आधारित होता है या ऐसे आधार पर आधारित होता है जो ऐसी विधि द्वारा मान्य नहीं है तो वह ऐसा निर्णय होता है जो उस विधि के उल्लंघन में है । इस प्रकार यह न्यायनिर्णीत मामलों का निश्चायक नहीं है और इसलिए इस देश में अप्रवर्तनीय है । इसी कारण ऐसा निर्णय धारा 13 के खंड (च) के अनुसार अप्रवर्तनीय भी होगा क्योंकि ऐसा निर्णय प्रकटतः इस देश में प्रवृत्त विवाह संबंधी विधि के उल्लंघन में होगा ।

18. धारा 13 के खंड (घ) में जो विदेशी निर्णय को इस

आधार पर अप्रवर्तनीय बना देता है कि वे कार्यवाहियां जिनमें वह अभिप्राप्त किया गया है, नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है, एकाधिक प्रारंभिक सिद्धांत अंकित नहीं है जिस पर कोई भी सभ्य न्याय-पद्धति निर्भर करती है। बहरहाल, कुटुम्ब विधि से संबंधित मामलों में जैसे विवाह संबंधी विवादों में इस सिद्धांत का विस्तार प्रक्रिया के तकनीकी नियमों के अनुपालन मात्र से कुछ अधिक अर्थ में करना होगा। यदि “दूसरे पक्षकार को भी सुनो” सिद्धांत का विदेशी न्यायालय की कार्यवाही के निर्देश में कोई अर्थ है तो उस नियम के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी पर न्यायालय की आदेशिका सम्यक रूप से तामील कर दी गई है। यह अभिनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या प्रत्यर्थी की उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधत्व कराने की स्थिति थी और उक्त कार्यवाहियों का कारगर ढंग से विरोध करने की स्थिति में थीं। यह अपेक्षा अपील कार्यवाहियों को भी उसी प्रकार लागू होनी चाहिए जब कभी वे किसी भी पक्षकार द्वारा फाइल की जाएं। यदि विदेशी न्यायालय ने प्रत्यर्थी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने की अर्जीदार से अपेक्षा करके जिसमें यात्रा, निवास और मुकदमे का खर्च भी शामिल है, जहां कहीं आवश्यक हो, ऐसे कारगर प्रतिरोध को अभिनिश्चित और सुनिश्चित नहीं किया है, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वे कार्यवाहियां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में हैं। इसी कारण हमारा यह निष्कर्ष है कि किन्हीं देशों की प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम वाणिज्यिक मामलों में भी इस बात पर जोर देते हैं कि अनुयोजन उसी जगह फाइल किया जाना चाहिए जहां प्रतिवादी का या तो अधिवास है या अभ्यासतः निवास करता है। विशेष स्थितियों में ही जिसे विशेष अधिकारिता कहते हैं, जहां दावे का किसी अन्य न्याय मंच से कोई वास्तविक संबंध होता है, तभी ऐसे न्याय मंच

का निर्णय माना जाता है। इस अधिकारिता संबंधी सिद्धांत को यूरोपीय समुदाय की निर्णय कन्वेंशन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। अतः यदि इस देश के न्यायालय सामान्य नियम के आधार पर इस बात पर जोर देते हैं कि विदेशी विवाह संबंधी निर्णय को तभी मान्यता दी जाएगी जब वह ऐसे न्यायालय का हो जहां प्रत्यर्थी अधिवास करता है या अभ्यासतः और स्थायी तौर पर निवास करता है, तो खंड (घ) के उपबंधों की पूर्ति की गई मानी जा सकती है।

19. धारा 13 के खंड (ड.) का यह उपबंध जिसके अनुसार यह अपेक्षित है कि इस देश के न्यायालय विदेशी निर्णय को मान्यता नहीं देंगे, यदि वह कपट से अभिप्राप्त किया गया है, स्वयं प्रकट है। फिर भी श्रीमती सत्या बनाम तेजा सिंह वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय की दृष्टि से यह समझ लिया जाए कि कपट मामले के गुणागुण के संबंध में ही होना जरूरी नहीं है, वह अधिकारिता संबंधी तथ्यों के संबंध में भी हो सकता है।

20. पूर्वोक्त विवेचन से इस देश में विदेशी विवाह संबंधी निर्णय को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है। विदेशी न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई अधिकारिता एवं वे आधार जिन पर अनुतोष दिया गया है, उस विवाह संबंधी विधि के अनुसार होने चाहिए जिसके अधीन पक्षकारों का विवाह हुआ हो। इस सिद्धांत के अपवाद निम्नलिखित हो सकते हैं : (i) जहां विवाह संबंधी अनुयोजन ऐसे न्याय मंच में फाइल किया जाए जहां प्रत्यर्थी आवास करता है या अभ्यासतः और स्थायी तौर पर निवास करता है और अनुतोष उस विवाह संबंधी विधि में उपलब्ध किसी आधार पर दिया जाता है, जिसके अधीन पक्षकारों ने विवाह किया है, (ii) जहां प्रत्यर्थी स्वेच्छया और कारगर ढंग से उस न्याय मंच की अधिकारिता के प्रति समर्पण कर

देता है जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया था और उस दावे का प्रतिरोध करता है जो उस विवाह संबंधी विधि के अधीन उपलब्ध आधार था जिसके अधीन पक्षकारों ने विवाह किया है, (iii) जहां प्रत्यर्थी अनुतोष की मंजूरी से सहमत है, यद्यपि न्याय मंच की अधिकारिता पक्षकारों की विवाह संबंधी उपबंधों के अनुसार नहीं है।

21. उल्लिखित अपवादों सहित पूर्वोक्त सिद्धांत न्यायसंगत और साम्यिक है। यह किसी भी पक्षकार के साथ अन्याय नहीं करता। पक्षकार अपने अधिकारों और बाध्यताओं को जानते हैं और उन्हें जानना चाहिए, जब वे किसी विशेष विधि के अधीन विवाह करते हैं। बाद में उनसे उसके बारे में कोई व्यथा नहीं सुनी जा सकती या वर्तमान मामले की भांति बहाने से उसे नजरअंदाज करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। इस नियम का यह भी लाभ है कि यह विवाह की संस्था को अधिवास, राष्ट्रीयता, निवास – स्थायी या अस्थायी या तदर्थ, न्यायमंच, उचित विधि, आदि पर आधारित गुणागुण और अधिकारिता के बारे में विभिन्न देशों की निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों की अनिश्चित छवि से बचाता है और राष्ट्रीय जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निश्चितता तथा लोक नीति से अनुरूपता सुनिश्चित करता है। साथ ही यह नियम आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है और उन्हें पूरा करने की इसमें अच्छी गुंजाइश है। इन सबके अलावा, यह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग, स्त्रियों, को संरक्षण प्रदान करता है चाहे वे किसी सभी वर्ग की हों, विशिष्टतया यह उन्हें अत्याचारी और दासोचित इस सिद्धांत के बंध से मुक्ति दिलाता है कि पत्नी का अधिवास वही है जो उनके पति का है और यह कि पति का अधिवास ही मामले की अधिकारिता को निर्धारित करता है और मामले के गुणागुण का मूल्यांकन करता

है ।

22. चूंकि उस न्यायमंच की अधिकारिता एवं उस आधार के बारे में जिस पर वह पारित किया गया है प्रस्तुत मामले में विदेशी डिक्री उस अधिनियम के अनुसार नहीं है जिसके अधीन पक्षकारों ने विवाह किया था और प्रत्यर्थी ने उस न्यायालय की अधिकारिता को नहीं माना था या उसके पारित होने के लिए सम्मति नहीं दी थी । इसलिए उसे इस देश के न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती और इसीलिए अप्रवर्तनीय है । ”

3.4 श्रीमती नीरजा सराफ़ बनाम श्री जयंत वी. सराफ़³ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि यह एक निजी अंतरराष्ट्रीय विधि की समस्या है और सुलझाना आसान नहीं है लेकिन सामाजिक संरचना के परिवर्तन और अनिवासी भारतीय के साथ विवाह के बढ़ने से भारत संघ ब्रिटिश संसद् द्वारा अधिनियमित विदेशी निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम, 1933 जैसी विधि अधिनियमित करने पर विचार कर सकता है जिसकी धारा 1 के अनुसरण में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने निर्णयों का पारस्परिक प्रवर्तन (भारत) आदेश, 1958 जारी किया था । न्यायालय ने यह सिफारिश की कि निम्नलिखित जैसे उपबंधों को शामिल कर महिलाओं के हित की सुरक्षा करने वाले विधान की संभाव्यता की परीक्षा की जाए -

(क) अनिवासी भारतीय और किसी भारतीय महिला के बीच हुए किसी विवाह को जो भारत में हुआ है, विदेशी न्यायालय द्वारा रद्द न किया जाए ;

(ख) भारत और विदेश दोनों जगह पति की संपत्ति में पत्नी के लिए पर्याप्त निर्वाह-भत्ते का उपबंध किया जाए ;

³ जे टी 1994 (6) एस. सी. 488.

(ग) भारतीय न्यायालयों द्वारा मंजूर डिक्री को सौहार्द्र के सिद्धांत और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44-क जो विदेशी न्यायालय की डिक्री को ऐसे निष्पाद्य बनाती है मानो यह उस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो जैसे पारस्परिक करार करके विदेशी न्यायालयों में निष्पाद्य बनाया जाए ।

3.5 निम्नलिखित कन्वेंशनो⁴ की भारतीय संदर्भ में उसकी सुसंगतता और अनुकूलता के संबंध में परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है :

1. बच्चों के प्रति भरण-पोषण बाध्यता को लागू विधि पर 24 अक्टूबर, 1956 का कन्वेंशन ।
2. बच्चों के प्रति भरण-पोषण बाध्यता विषयक विनिश्चयों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित 15 अप्रैल, 1958 का कन्वेंशन ।
3. शिशु संरक्षण की बाबत लागू विधि और प्राधिकारियों की शक्तियों से संबंधित 5 अक्टूबर, 1961 का कन्वेंशन ।
4. दत्तक ग्रहण की अधिकारिता, लागू विधि और डिक्रियों की मान्यता पर 15 नवम्बर, 1965 का कन्वेंशन ।
5. विवाह-विच्छेद और विधिक पृथक्करण की मान्यता पर 1 जून, 1970 का कन्वेंशन ।
6. मृतक व्यक्तियों की संपदा के अंतरराष्ट्रीय प्रशासन से संबंधित 2 अक्टूबर, 1973 का कन्वेंशन ।
7. भरण-पोषण बाध्यताओं से संबंधित विनिश्चयों की मान्यता और प्रवर्तन पर 2 अक्टूबर, 1973 का कन्वेंशन ।
8. भरण-पोषण बाध्यताओं को लागू विधि पर 2 अक्टूबर, 1973 का कन्वेंशन ।
9. वैवाहिक संपत्ति विषय को लागू विधि पर 14 मार्च, 1978 का

⁴ [http://www.lcch.net/index.en.Php?act=Conventions listing](http://www.lcch.net/index.en.Php?act=Conventions%20listing) तारीख 23.03.2009 को देखा गया ।

कन्वेंशन ।

10. विवाहों की विधिमान्यता का सम्मान और मान्यता पर 14 मार्च, 1978 का कन्वेंशन ।
11. अन्तरराष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर 25 अक्टूबर, 1980 का कन्वेंशन ।
12. मृतक व्यक्तियों की संपदा के उत्तराधिकार को लागू विधि पर 1 अगस्त, 1989 का कन्वेंशन ।
13. पैतृक उत्तरदायित्व के संबंध में अधिकारिता, लागू विधि, मान्यता, प्रवर्तन और सहयोग तथा बच्चों के संरक्षण के उपाय पर 19 अक्टूबर, 1996 का कन्वेंशन ।
14. बाल सहयोग की अंतरराष्ट्रीय प्राप्ति और कुटुम्ब भरण-पोषण के अन्य प्ररूप पर 23 नवम्बर, 2007 का कन्वेंशन ।
15. भरण-पोषण बाध्यताओं को लागू विधि पर 23 नवम्बर, 2007 का प्रोटोकाल ।

IV. अन्तर-मातृ-पितृ बाल पृथक्करण – एक विशिष्ट समस्या

4. विदेश से अन्तर-मातृ पितृ बाल अपहरण के मामलों में तब एक बहुत रुचिकर, मानवीय और सीमा पार मुकदमेबाजी की दिलचस्प बात पैदा होती है जब कोई पति या पत्नी विदेशी न्यायालय आदेश के अतिक्रमण में भारत में कोई बालक/बालिका छोड़कर चला जाता है । दुर्भाग्यवश, भारत अन्तरराष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 का पक्षकार नहीं है और न ही पाकिस्तान था । लेकिन, 17 जनवरी, 2003 को इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय के कुटुम्ब खंड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने यू. के. – पाकिस्तान न्यायिक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया था । इसमें आदतन निवास के देश के अपहृत शिशु की वापसी के लिए हेग कन्वेंशन के प्रभावी

उपबंधों को शामिल किया गया था । संभवतः, भारत में भी आजकल इसकी अत्यंत आवश्यकता है । यद्यपि ब्रिटिश और भारतीय सरकारों ने आपराधिक विधि के अपराधियों के प्रत्यर्पण की संधि पर हाल ही में हस्ताक्षर किया लेकिन वैवाहिक समस्याओं के संबंध में ऐसा कोई करार, संधि या प्रोटोकाल नहीं है । अब विधायी परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है ।

V. सुझाए गए समाधान और उपचार

5.1 ऐसी सभी बुराईयों और विधिक समस्याओं के लिए रामबाण के रूप में क्या उपचार है?

5.2 समुद्र पार कुटुम्ब विधि अधिकारिताओं के समग्र मामलों को पढ़ने से यह पता चलता है कि ऐसे विषयों में, ये न्यायिक पूर्व निर्णय ही हैं जो विषय पर मार्ग-दर्शन और न्यायिक विधान उपलब्ध करते हैं । काफी अनिवासी भारतीयों के अब स्थायी रूप से विदेशी अधिकारिताओं में रहने से, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि अनिवासी भारतीयों को उनके अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए भारत में विदेशी न्यायालयों से निर्णय आयात करने से बचाने के लिए उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए समेकित विधान अधिनियमित किया जाए । अतः, भारतीयों को विदेशी अधिकारिताओं के निर्णय जो भारतीय व्यवस्था में लागू नहीं होते, को भारतीय व्यवस्था पर आक्रमण करने की छूट देने के बजाय उन्हें लागू विधि प्रदान करना इसका उत्तर है । इसलिए, भारतीय विधान मंडल को इस मुद्दे को गंभीरता से पुनर्विलोकन करने और कुटुम्ब विधि मामलों में अनिवासी भारतीयों के लिए समेकित विधान बनाने की आवश्यकता है । जब तक ऐसा नहीं किया जाता, घरेलू मामलों के विदेशी न्यायालय निर्णयों को चलते रहने दिया जाएगा और भारतीय न्यायालयों को भारतीय विधियों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से उनका निर्वचन करने और सर्वाधिक निष्पक्ष और साम्यापूर्ण तरीके से पक्षकारों के साथ सारवान् न्याय करने के अपने हितकर प्रयासों को जारी रखना होगा । तथापि, इस प्रक्रिया में, भारतीय न्यायपालिका ने एक

बात बहुत स्पष्ट की है, अर्थात् भारतीय न्यायालय कुटुम्ब मामलों में विदेशी न्यायालयों के निर्णयों और डिक्रियों का मात्र यांत्रिक रूप से प्रवर्तन नहीं करेंगे। भारतीय न्यायालयों ने अब उनकी परीक्षा किए बिना आदेशों को मात्र क्रियान्वित करने के बजाय पक्षकारों के सर्वोत्तम हित में भारतीय विधि के आधार पर मामलों के गुणागुण पर विचार करना और उन्हें विनिश्चित करना आरंभ कर दिया है। सौभाग्यवश, ऐसे समय तक जब तक भारतीय विधान मंडल समुचित विधान के साथ बचाने के लिए नहीं आते हैं, तब तक हम इन प्रशंसनीय प्रयासों के लिए भारतीय न्यायपालिका का अभिवादन करते हैं। हम भारतीय न्यायपालिका, जो गाढ़े में सहायता प्रदान कर रही है, में अपने अनिन्द्य और कलंकित निष्ठा से दिलासा देना चाहते हैं।

5.3 अनिवासी भारतीयों के संदर्भ में, अनिवासी भारतीयों के साथ होने वाली समस्याओं और भारत रहने वाले लोग जब वे अनिवासी भारतीयों के संपर्क में आते हैं से प्रभावित विद्यमान कुटुम्ब विधि समस्याओं के सुधार के लिए निम्नलिखित सुझावों पर गहन विचार किया गया है। समाधान भागतः विद्यमान विधियों के उचित क्रियान्वयन, उचित विनियमों की विरचना, कुटुम्ब न्यायालयों और द्रुतगति न्यायालयों के सृजन और विद्यमान विधानों के संशोधन में विद्यमान है। संक्षेप में, छह बिन्दुओं को निम्नलिखित क्रम से यहां उल्लिखित किया जा रहा है :

क. विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाया जाए। परिणामतः यह विधिमान्य विवाह की शर्त के अनुपालन सुनिश्चित कराने, विवाह का सबूत उपलब्ध कराने और द्विविवाह पद्धति के निवारक के रूप में कार्य करेगा। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 राज्य सरकारों को विवाह के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए नियम बनाने का विकल्प प्रदान करती हैं। यह राय व्यक्त की गई कि काफी अनिवासी प्रव्रजन वाले राज्यों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विशिष्टतया तब अनिवार्य बनाना चाहिए जब पति-पत्नी में से एक अनिवासी भारतीय है। इसी प्रकार, यह आबद्धकर

बनाया जाना चाहिए कि अनिवासी भारतीय पति/पत्नी भारत में उस संबद्ध दूतावास/उच्चायोग को अपने विवाह के रजिस्ट्रीकरण की सूचना अवश्य दें जिस देश में वह अब रह रहा है। उच्च प्रव्रजन घटना वाले भारत के राज्यों को विवाह और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए धारा 8 के अधीन नियम बनाना और अधिसूचित करना चाहिए। आयोग ने पहले ही “विवाह और विवाह विच्छेद के रजिस्ट्रीकरण पर विधियां – समेकन और सुधार का प्रस्ताव” विषय की अपनी 211वीं रिपोर्ट में विवाह और विवाह विच्छेद के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इसी प्रकार की सिफारिश की है।

ख. विवाह-विच्छेद के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में विवाह के भंग के आधार पर विवाह का विघटन तब शामिल किया जाना चाहिए जब पति या पत्नी में से एक विधान द्वारा उपबंधित सुक्षोपायों के अध्यक्षीन अनिवासी भारतीय हो। इसके लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के उपबंधों का संशोधन करने की अपेक्षा होगी। ऐसा आधार अनिवासी भारतीय पति/पत्नी को भंग आधार पर विदेशी न्यायालयों के विदेशी निर्णयों का आयात करने के बजाय भारतीय भूमि पर उपचार के लिए भारत में न्यायिक मंच प्रदान करेगा और भारतीय न्यायालयों में सुविधाजनक और साम्यापूर्ण निबंधनों पर प्रतिरक्षा करने के लिए भारतीय पति-पत्नी को अवसर प्रदान करेगा। भारत सरकार की अधिक अनिवासी भारतीय जनसंख्या वाले राज्यों द्वारा इस संशोधन की आवश्यकता पर विद्यमान हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में उपयुक्त संशोधनों द्वारा समुचित विधान अधिनियमित करने के लिए गहनता से विचार करना चाहिए चूंकि ऐसे राज्यों से अन्तरदेशीय प्रव्रजन काफी संख्या में हैं। आयोग ने हाल ही में अपनी 217वीं रिपोर्ट में उक्त अधिनियमों में विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में “विवाह का असुधार्य भंग” को शामिल करने की सिफारिश की है। आगे, विधि आयोग ने “विदेश विवाह-विच्छेदों की मान्यता” विषय पर अपनी 65वीं रिपोर्ट में

यह सुझाव देकर मौलिक परिवर्तन किया कि विवाह-विच्छेद की विदेशी डिक्रियों की मान्यता के बारे में प्रश्नों पर विचार करने में, हमारे न्यायालयों को अपने विनिश्चयों को न केवल अधिवास के प्रश्न पर बल्कि आभ्यासिक निवास और राष्ट्रीयता के आधार पर भी ध्यान देना चाहिए। उक्त रिपोर्ट में, वैवाहिक कार्यवाहियों और इस विषय से संबंधित विदेशी न्यायालयों द्वारा पास्ति आनुषंगिक आदेशों की समस्याओं पर भी विचार किया गया था। आयोग का यह निष्कर्ष था कि इन आनुषंगिक आदेशों को हमारे न्यायालयों द्वारा आबद्धकर नहीं माना जाना चाहिए चाहे विवाह-विच्छेद की विदेशी डिक्रियों की मान्यता प्रदान की जाए। ये आनुषंगिक आदेश बच्चों की अभिरक्षा और अन्य सहायक प्रश्नों के बारे में होते हैं और यह महसूस किया गया कि उन्हें आबद्धकर मानना न्यायिकतः अविवेकी होगा। आयोग ने अपनी सिफारिशों को साकार बनाने के लिए उक्त रिपोर्ट के साथ “विवाह विच्छेद और विधिक पृथक्करण की मान्यता विषयक, 1976” शीर्षक एक विधेयक संलग्न किया था।

ग. जहां कहीं पति-पत्नी में से एक अनिवासी भारतीय हो वहां पति-पत्नी के भरण-पोषण और निर्वाह-भत्ता, बाल अभिरक्षा और बाल सहायता और वैवाहिक संपत्ति के निपटारे के लिए भी उबपंध करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में समानान्तर परिवर्तन अवश्य ही किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय भूमि के पति या पत्नी/बच्चों का विदेशी अधिकारिता के अनिवासी भारतीय पति या पत्नी की आय और स्तर के अनुसार भरण-पोषण और रख-रखाव हो रहा है। यह भी सुझाव देना श्रेयस्कर होगा कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अधीन संबद्ध राज्य सरकारों को कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का निदेश दिया जाए जहां कुटुम्ब न्यायालय नहीं स्थापित किए गए हैं। अधिक अनिवासी भारतीय जनसंख्या वाले राज्यों को जिन्हें अत्यंत आवश्यकता के रूप में कुटुम्ब न्यायालयों की अति आवश्यकता है, कुटुम्ब विधि समस्याओं से निपटने के लिए तत्काल

ऐसे न्यायालयों का सृजन करना चाहिए और कुटुम्ब विधि मुद्दों के निपटान को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां पक्षकार अनिवासी भारतीय है ।

घ. उत्तराधिकार, संपत्ति का अंतरण, विलों के बनाने/निष्पादन/क्रियान्वयन, अनिवासी भारतीय निधियों के प्रत्यावर्तन के मामलों में संबद्ध राज्य सरकारों को निश्चित ही सरल और कारगर प्रक्रियाएं बनानी चाहिए । आदर्शतः कहें, तो संपत्ति समस्याओं के मामलों में द्रुत गति न्यायालयों की स्थापना समयबद्ध सीमा के अनुसार शीघ्रता से ऐसे मामलों के निपटान के लिए की जाए । पंजाब सरकार ने कृषि, वाणिज्य और निवासीय संपत्ति से संबंधित विवादों से संक्षिप्त विचारण के लिए पूर्वी पंजाब किराया निर्बंधन अधिनियम और पंजाब भू-धृति सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किए हैं । तथापि, अनिवासी भारतीय की अधिक जनसंख्या वाले अधिकांश राज्यों में इन मामलों के पूर्विकता से निपटान के लिए कोई विशेष द्रुतगति न्यायालय विद्यमान नहीं हैं । यथासंभव शीघ्र ऐसे न्यायालयों के गठन हेतु नए प्रस्ताव पर विचार किया जाए ।

ड. न्यायालय देशों के विरुद्ध अन्तर-मातृ-पितृ बाल अपहरण या विदेशी अधिकारिताओं से भारत को बाल पृथक्करण के क्षेत्र में, भारत को अन्तरराष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 का हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए । इस समय, भारत में कोई अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन या संधि लागू नहीं है चूंकि भारत उक्त कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और कन्वेंशनल प्रक्रियाओं के अलावा, ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कोई उपचार नहीं है । चूंकि इस समय तक ऐसी संधि पर किसी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं है इसलिए अधिक अनिवासी जनसंख्या वाले राज्यों को भारत के विदेशी दूतावासों से संबंध बनाए रखने की अनुज्ञा देनी चाहिए जिसके माध्यम से न्यायालयों को अपने विदेशी निवास के देश को बच्चों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सहायता मिल सके यदि उन्हें विदेशी न्यायालय आदेशों के अतिक्रमण में पृथक्कृत किया गया है । अधिक अनिवासी भारतीयों की जनसंख्या वाले भारतीय राज्यों के प्रशासनिक और

पुलिस प्राधिकारियों को विपदाग्रस्त ऐसे माता-पिता की सहायता करने के लिए अनुपालनार्थ कुछ एक समान मार्गदर्शक सिद्धांत दिए जाने चाहिए जो प्रायः भारत के राज्यों में ऐसे किसी सुराग के बिना कि सहायता के लिए किससे संपर्क किया जाए, आते हैं। आयोग ने पहले ही 1980 के उक्त कन्वेंशन को स्वीकार करने की आवश्यकता के बारे में अपनी 218वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है।

च. अन्तर-देशीय बाल दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के मामले में एकल समरूप विधान बनाया जाए। यह पर्याप्त जांच और सुरक्षोपायों से युक्त होना चाहिए लेकिन वहीं एकीकृत, सरल और एकल अभिकरण प्रक्रिया का भी उपबंध होना चाहिए। वर्तमान प्रणाली अति विस्तृत, जटिल है और इसमें कई अभिकरण अंतर्वर्तित हैं तथा काफी समय लेने वाली है और इस प्रकार उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अधिक अनिवासी भारतीयों की जनसंख्या वाले भारत के राज्यों को अन्य अभिकरणों, दत्तक गृहों और प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ समरूप नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करने चाहिए जिससे कि दत्तक विषयों में उचित सहायता और मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध हो सके। विधि आयोग ने “अन्तर-देशीय दत्तक ग्रहण” विषय पर अपनी 153वीं रिपोर्ट में अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण पर विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। भारत ने अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित बच्चों के संरक्षण और सहकारिता पर 29 मई, 1993 के कन्वेंशन का भी अनुसमर्थन किया है। इस प्रकार इस कन्वेंशन के आलोक में विषय पर सरल विधि अधिनियमित की जाए।

5.4 अनिवासी भारतीयों के लिए नया समेकित विधान बनाकर उपरोक्त परिवर्तन किए जा सकते हैं या विधि और प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए विद्यमान विधानों में उपयुक्त परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि निजी अन्तरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र के विशेषज्ञों

की एक कोर समिति का संगठन यथाशीघ्र सर्वोत्तम संभव तरीके से विधान में उक्त परिवर्तनों को सुझाने हेतु व्यापक प्रारूप तैयार करने के लिए किया जाए । यह विधि आयोग का भारत में अनिवासी भारतीयों के जीवन को सुधारने हेतु यथासंभव करने के लिए भारत सरकार को सुझाने का प्रारूप है । यह देखना महत्वपूर्ण है कि भारत अनिवासी भारतीयों के लिए क्या कर सकता है न कि अनिवासी भारतीय भारत के लिए क्या कर सकते हैं ।

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

अध्यक्ष

ह/-

(प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद
सदस्य

ह/-

(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)
सदस्य-सचिव